

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून

पत्रांक ११७/विकास कार्य/नि०सू०/२०२६-२७

दिनांक ३०.६/.....२०२६

ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों जो आयकर, व्यापार कर/जी०एस०टी० देहरादून में पंजीकृत हो, ऐसे फर्मों/ठेकेदारों से विकास कार्यों को करने हेतु ई-निविदा दिनांक २४.०७.२०२६ को अपराह्न २.०० बजे तक uktenders.gov.in की बैबसाईट के माध्यम आमंत्रित की जाती है। प्राप्त ई निविदाओं को निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक २८.०७.२०२६ को पूर्वाह्न ११.०० बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आगणन में अकिंत विशिष्टियों की मात्रा पूर्णत अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत)सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य की धनराशि का पे-आर्डर जो सचिव, एम०डी०डी०ए० के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/एन०एस०सी० के रूप में होगी, तथा अधिशासी अभियन्ता,म०दे०वि०प्रा० के नाम बन्धक होगी, को निविदा शर्तों के अनुसार अन्य अभिलेखों के साथ उक्त बैबसाईट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन करना होगा तथा इन सभी की मूल प्रति दिनांक २५.०७.२०२६ को अपराह्न २.०० बजे तक प्राधिकरण के अभियन्त्रण अनुभाग में जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि एवं समय तक उक्त अभिलेख जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्य का विस्तृत विवरण/बी०ओ०क्यू०/शर्तें बैबसाईट पर उपलब्ध है। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र, जी० पी० डब्लू०-९ एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या ११९७/II (२)/०७-७५(सामान्य)/II दिनांक २४-२-२०१४ एवं अन्य के अनुसार होगी। जी०एस०टी० नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की बैधता ९० दिन मान्य रहेगी।

क्र०	कार्य का नाम	अनु० लागत (लाख)	धरोहर राशि (लाख रू०)	टेन्डर शुल्क	समय (माहों में)
1	विजयपुर वार्ड २ में सडक एवं नाली का निर्माण	5.74	17300.00	1180.00	01
2	शन्तलादेवी मन्दिर में शौचालय का निर्माण कार्य	8.03	42100.00	1180.00	02
3	कार्लिगाड सहस्त्रधारा में सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में	38.52	77100.00	2950.00	04
4	वार्ड 59 में तरला नागल, नागल हाईट, ओरचिड पार्क में सडक निर्माण कार्य	46.31	92700.00	3540.00	04
5	ईस्ट वैस्ट कालोनी जाखन में सडक।	43.26	86600.00	3540.00	04
6	नगर निगम के अर्न्तगत राजपुर रोड में 130 मीटर सडक।	13.60	40800.00	1770.00	02
7	प्लीजेन्ट वैली में सामुदायिक भवन का निर्माण।	45.65	91300.00	3540.00	04
8	नगर निगम वार्ड 04 चालांग में पुस्ता का निर्माण	30.00	90000.00	2950.00	03
9	नगर निगम तन्धुवाला में शही कप्तान दल बहादुर थापा आजाद हिन्द फौज शहीद द्वार का निर्माण कार्य	24.59	73800.00	2360.00	03
10	ग्राम चल चला सरोना में सुरकण्डा देवी मन्दिर में सौन्दर्यीकरण का कार्य।	20.49	41000.00	2360.00	03
11	दून विहार वार्ड 06 बापू नरग में सामुदायिक भवन/टिन शेड का निर्माण	16.39	49200.00	1770.00	02
12	वार्ड 06 आर०आर० अग्रवाल एन्क्लेव लेन नं०-02 में नाली।	14.01	28100.00	1770.00	02
13	वार्ड 02 विजयपुर पातालेश्वर मन्दिर में पुलिया शौचालय व सडक	15.16	30400.00	1770.00	02
14	राजेश्वर नगर फेस 1 में सामुदायिक भवन की बाउण्ड्री का निर्माण	8.11	24400.00	1180.00	02
15	मता संतला देवी के प्रवेश द्वार के निकट शौचालय निर्माण।	8.03	24100.00	1180.00	02
16	भद्रकाली मन्दिर अनारवाला में अतिथि कक्ष व टिन शेड का निर्माण	15.16	45500.00	1770.00	02
17	वार्ड 04 राजपुर के अर्न्तगत नागन हटनाल में सामुदायिक भवन का निर्माण।	45.49	91000.00	3540.00	04
18	ग्राम पंचायत गोडा में सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण कार्य।	10.95	32900.00	1770.00	02

कार्यालय

19	ग्राम पंचायत कारलीगढ शिव मन्दिर के पास सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण।	14.75	44300.00	1770.00	02
20	ग्राम पंचायत धनौला में सुरक्षात्मक दीवार का कार्य।	11.06	33200.00	1770.00	02
21	विलासपुर कांडली में 800 मीटर आन्तरिक सडकों का निर्माण	45.08	90200.00	3540.00	04
22	दून डिवाइन में आन्तरिक सडकों का निर्माण कार्य	49.18	98400.00	3540.00	04
23	इन्दर बाबा मार्ग लेन नं0-03 में सडक निर्माण कार्य	45.19	90400.00	3540.00	04
24	दून विहार सामुदायिक भवन की छत पर टिन शैड का निर्माण।	16.39	49170.00	1770.00	03
25	डोभाल वाला में सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	108.19	216400.00	4720.00	06
26	विजय कालोनी में सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	108.19	216400.00	4720.00	06
27	सालावाला में सडक एवं पुरस्ता का निर्माण कार्य।	70.49	14100.00	4720.00	05
28	विभिन्न स्थानों पर एन्ट्री गेट, साईनेज व वाटर कूलर का कार्य।	51.22	102500.00	4720.00	04


अन्य नियम एवं शर्तें

1. जिन ठेकेदारों/फर्मों को पूर्व से प्राधिकरण कें किसी भी अनुभाग में किसी भी प्रकार के 02 विकास कार्य आवंटित हुए हो, वह कार्य अनुबन्ध की प्रक्रिया में हो अथवा गतिमान हो, वह ठेकेदार/फर्म उन 02 कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त ही निविदा में भाग ले पायेगा।
2. एक फर्म/ठेकेदार को एक बार में 02 ही कार्य आवंटित किये जायेंगे। 02 कार्य आवंटित होने के उपरान्त वह ठेकेदार आवंटित 02 कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त ही आगे निविदा में भाग लेगा।
3. किसी भी फर्म/ठेकेदार की 02 निविदा खुल जाने के उपरान्त यदि उस ठेकेदार की अन्य कार्यों में निविदा पायी जाती है तो उसे सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
4. uktenders.gov.in एवं mddaonline.in की बैबसाईट व दैनिक समाचार पर विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात प्राधिकरण में यदि कोई फर्म पंजीकृत होता है तो वह फर्म उपरोक्त कार्यों में प्रतिभाग नहीं कर पायेगा।
5. निविदा के साथ मूल रूप में एवं ऑनलाईन निविदा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है :-
 - निविदा वैधता के सम्बन्ध में, सत्यता और शुद्धता के सम्बन्ध में, लिटिगेशन की सूचना के सम्बन्ध में, निविदा समिति के निर्णय/नो क्लेम के सम्बन्ध में, No Dues के सम्बन्ध में, ₹0 100.00 के स्टाम्प पेपर, एवं ₹00 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - प्रत्येक ठेकेदार को प्राधिकरण में आवंटित कार्यों/निर्माणाधीन कार्यों अथवा वर्तमान में कोई कार्य आवंटित न होने/निर्माणाधीन न होने का उल्लेख उक्त शपथ पत्र में करना अनिवार्य होगा।
6. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 770/iii(2) 17.20(सामान्य) 2011 टी0सी0 दिनांक 12.06.2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्योरिटी जमा करनी होगी।
7. प्राधिकरण को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।
8. ई-निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को बैबसाईट पर तकनीकी खराबी आदि से निविदादाता को होने वाली कठिनाइयों हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।
9. कार्य पूर्ण करने के उपरान्त डी0एल0पी0 की गणना कार्य की प्रकृति को देखते हुए लोक निर्माण विभाग में लागू नियमों के अनुसार होगी।
10. शासनसदेश संख्या-306433/2025 XXVII(9)/02/ अधिप्राप्ति/20204 ई0प्रत्रा0 संख्या 76643 दिनांक 13.06.2025 के क्रम में कार्यालय आदेश दिनांक 03.01.2026 के अनुपालन में निविदा में वही पंजीकृत ठेकेदार भाग लेगा जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

अधिशारी अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:—

- 1—सचिव, / वित्त नियन्त्रक / मुख्य अभियन्ता म०दे०वि०प्राधि०देहरादून ।
- 2—नगर निगम / लोक निर्माण विभाग / जिला परिषद / सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डों पर चरप्पा हेतु ।
- 3—नाजिर म०दे०वि०प्राधि० को इस आशय से प्रेषित कि वे रोस्टर के अनुसार 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध करायेगें ।
- 4—आई०टी० अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।
- 5—प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चरप्पा करने हेतु ।
- 6—सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु ।



अधिशायसी अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।